भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4728

उत्तर देने की तारीख : 21.08.2025

राजस्थान में पारंपरिक शिल्पकार

4728. श्री राहुल कस्वां :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने राजस्थान में अपंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) श्रेणी में आने वाले पारम्परिक शिल्पकारों (कुम्हारों, बुनकरों, चमड़े के कारीगरों आदि) की जिला-वार संख्या का मानचित्रण किया है;

(ख) क्या स्फूर्ति अथवा ओडीओपी जैसी योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान में जिला-वार कारीगरों के नेतृत्व वाले ऐसे सूक्ष्म उद्यमों को डिजाइन नवोन्मेष, बाजार पहुंच अथवा प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में जिलावार कितने कारीगर समूहों का किसी सरकारी योजना के अंतर्गत पुनरुद्धार या उन्हें प्रोत्साहित किया गया है;

(घ) क्या राजस्थान को प्रमुख प्रायोगिक पहलों अथवा निर्यात-संबद्ध एमएसएमई सहायता योजनाओं से बाहर रखा गया है और ऐसे बहिष्कार के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में विरासत आधारित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार के लिए जिला-विशिष्ट कार्यनीति तैयार करने हेतु स्थानीय पंचायतों अथवा सिविल सोसाइटी से परामर्श किया है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : राजस्थान सहित, पूरे देश में 18 पारंपरिक व्यवसायों में कार्यरत कारीगरों और शिल्पकारों को सम्पूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को पीएम विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम में 18 व्यवसाय अर्थात (i) कारपेंटर (सुथार/बढ़ई); (ii) नाव निर्माता; (iii) अस्त्रकार; (iv) धातुकर्मी/धातु कॉस्टर; (v) हथौड़ा और टूल किट निर्माता; (vi) ताला बनाने वाला; (vii) गोल्डस्मिथ (सुनार); (viii) पॉटर (कुम्हार); (ix) स्कल्पटर (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला; (x) कॉबलर (चर्मकार)/ जूते बनाने वाला/फुटवियर कारीगर; (xi) मेसन (राजमिस्त्री); (xii) टोकरी/चटाई/झाड़ु बनाने वाला/कॅयर बुनकर; (xiii) गुडिया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक); (xiv) बार्बर (नाई); (xv) गारलैंड मेकर (मालाकार); (xvi) वॉशरमैन (धोबी); (xvii) टेलर (दर्जी); और (xviii) मछली का जाल बनाने वाला शामिल हैं। राजस्थान राज्य में पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकृत पारंपरिक शिल्पकार का जिला-वार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) : एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) का उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को मूल्यवर्धित उत्पादन के लिए विनिर्माण उद्यमों के रूप में संगठित करना है। इस स्कीम के तहत, 500 कारीगरों तक की संख्या वाले नियमित क्लस्टरों के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक तथा 500 से अधिक कारीगरों वाले प्रमुख क्लस्टरों के लिए 5.00 करोड़ रुपए तक की भारत सरकार की सहायता प्रदान की जाती है। स्फूर्ति के तहत कवर किए गए पारंपरिक क्षेत्रों में वस्त्र, हस्तशिल्प, बांस, कृषि-प्रसंस्करण, शहद, खादी, कॅयर आदि शामिल हैं।

(ग): राजस्थान राज्य में, भारत सरकार (जीओआई) की 83.43 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ स्फूर्ति के तहत विगत पांच वर्षों में 30 क्लस्टरों को अनुमोदित किया गया है। राजस्थान राज्य में सभी अनुमोदित स्फूर्ति क्लस्टरों में 16,529 पारंपरिक कारीगर लाभान्वित हुए हैं। क्लस्टरों का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार ने राजस्थान ओडीओपी नीति, 2024 जारी की है, जो राजस्थान में सूक्ष्म उद्यमों के साथ-साथ लघु ओडीओपी उद्यमों को निम्न प्रोत्साहन प्रदान करती है:

- नए सूक्ष्म एवं लघु ओडीओपी उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 25% तक मार्जिन मनी सब्सिडी, जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए है।
- सूक्ष्म एवं लघु ओडीओपी उद्यमों के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण की लागत का 50% तक सहायता, जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए है।
- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मेलों में सहभागिता हेतु एमएसएमई को स्टॉल किराए के 75% तक (अधिकतम 2 लाख रुपए) और 2 व्यक्तियों के लिए वास्तविक यात्रा लागत की सहायता।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा ली जा रही कुल फीस/कमीशन (शिपिंग शुल्क को छोड़कर) के 75% तक ओडीओपी एमएसएमई को प्रतिपूर्ति, 2 वर्षों के लिए अधिकतम 1.00 लाख रुपए प्रति वर्ष।

(घ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने राजस्थान सहित देश भर में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित किए हैं, जिनके नाम हैं एमएसएमई, विकास कार्यालय, जयपुर और एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, भिवाड़ी, जिनका उद्देश्य एमएसएमई को उनके उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में अपेक्षित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है।

(ङ) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत, सामान्य सुविधा केंद्रों (ईएफसी) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। आवेदनों का तीन चरणों में सत्यापन किया जाता है, जिसमें पहले चरण में ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तर पर सत्यापन शामिल है। नामांकित कारीगरों और शिल्पकारों की जांच ग्राम पंचायत के मुखिया/ग्राम परिषद के अध्यक्ष या शहरी स्थानीय निकाय के कार्यकारी प्रमुख/प्रशासक द्वारा की जाती है, उसके बाद अनुशंसित आवेदनों को डीसी/डीएम की अध्यक्षता वाले दूसरे चरण में भेजा जाता है।

******

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4728, जिसका उत्तर दिनांक 21.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

राजस्थान राज्य में पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों का जिला-वार पंजीकरण

जिला का नाम	पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकृत पारंपरिक शिल्पकार
अजमेर	10,038
अलवर	13,203
बांसवाड़ा	5,294
बारां	8,880
बाड़मेर	8,931
भरतपुर	10,701
भीलवाड़ा	6,566
बीकानेर	11,756
बूंदी	10,396
चित्तौड़गढ़	4,115
चुरू	13,787
दौसा	13,139
धौलपुर	3,789
डूंगरपुर	4,022
गंगानगर	5,302
हनुमानगढ़	9,272
जयपुर	17,124
जैसलमेर	5,390
जालौर	5,204
झालावाड़	7,685
झुंझुनूं	6,376
जोधपुर	8,541
करौली	9,248
कोटा	6,256
नागौर	9,135
पाली	5,035
प्रतापगढ़	2,168
राजसमंद	3,855
सवाई माधोपुर	3,281
सीकर	6,365
सिरोही	2,385
टोंक	9,283
उदयपुर	5,375
कुल	**2,51,897**

अनुबंध-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4728, जिसका उत्तर दिनांक 21.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-II

राजस्थान राज्य में स्फूर्ति के तहत क्लस्टरों की सूची

क्र.सं.	जिला	क्लस्टर का नाम	लाभान्वित कारीगर	प्रदान की गई भारत सरकार (जीओआई) सहायता (लाख रुपए में)
1	जोधपुर	हैंड एम्ब्रोयड्री और अप्पिलेक क्लस्टर	937	353.43
2	अजमेर	किशनगढ़ मार्बल और ग्रेनाइट क्लस्टर	281	201.10
3		मिलेट प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन क्लस्टर	800	325.00
4	अलवर	तिजारा फल एवं सब्जी क्लस्टर	640	233.20
5	बांसवाड़ा	बंबू आधारित क्लस्टर	331	185.32
6		दाल प्रसंस्करण क्लस्टर	685	311.90
7	बारां	लैदर क्रॉफ्ट क्लस्टर, बारां	337	249.27
8	बाड़मेर	बाड़मेर हैंडीक्रॉफ्ट क्लस्टर	890	229.88
9		बायतू स्टोन कार्विंग क्लस्टर	290	235.00
10	चुरू	बांधनी और बंधेज टाई और डाई क्लस्टर, चुरू, राजस्थान	360	225.06
11	हनुमानगढ़	अनमोक बी-किपिंग क्लस्टर	250	229.15
12	जैसलमेर	हैंड एम्ब्रोयड्री एवं क्रॉफ्ट क्लस्टर	726	243.60
13	झालावाड़	लहसून प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन क्लस्टर	710	363.70
14	झुनझुनू	कोलसिया टाई एवं डाई क्लस्टर	349	275.60
15	जोधपुर	मेटल क्रॉफ्ट क्लस्टर	657	305.10
16		वुड क्रॉफ्ट क्लस्टर	889	395.23
17	करौली	स्टोन कार्विंग क्लस्टर	825	351.51
18	कोटा	बी-किपिंग क्लस्टर, कोटा	702	429.62
19	नागौर	गुड, गम और इसब्गोल प्रसंस्करण क्लस्टर	744	390.00
20	पाली	सीड स्पाइस प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन क्लस्टर	965	424.00
21	राजसमंद	हल्दीघाटी फूल प्रसंस्करण क्लस्टर	403	243.92
22		पिपलांत्री बी-किपिंग क्लस्टर, राजसमंद, राजस्थान	300	229.79
23	सवाई माधोपुर	बरोली बी-किपिंग क्लस्टर	345	229.88
24		रणथम्भौर काथा वर्क क्लस्टर	440	199.196
25	सीकर	लैदर क्रॉफ्ट क्लस्टर सीकर	325	248.96
26	श्री गंगानगर	एडीबल ऑयल पर माईटी एग्रो क्लस्टर	265	236.48
27		पारंपरिक भारतीय फेब्रिक आधारित खिलौना क्लस्टर	819	291.66
28	टोंक	नमदा वुल आर्ट और हैंडीक्रॉफ्ट क्लस्टर, टोंक	756	376.46
29	उदयपुर	दीप हस्तशिल्प लकड़ी का खिलौना क्लस्टर	250	150.01
30		वुड कार्विंग क्लस्टर	258	180.26
कुल			**16,529**	**8343.29**